

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

28 JUL 2020

क्रमांक:-प.3(212)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक:

28 JUL 2020

आदेश

कोविड-19 के मद्देनजर आम जन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा-विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन/पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन आदि हेतु जारी किये गये मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा दिनांक 15.03.2020 एवं इसके पश्चात् है, उनमें राशि जमा कराने की अवधि 30.06.2020 तक किये जाने की छूट विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.2020 द्वारा प्रदान की गई थी।

अतः निर्माण स्वीकृति, पट्टा-विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उपविभाजन/पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन आदि से संबंधित जिन प्रकरणों में मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा दिनांक 15.03.2020 एवं इसके पश्चात् की है, उनमें राशि जमा कराने की अवधि 31.12.2020 तक किए जाने की छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष रामयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम